राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक – एफ 13 (10)(5) खा.वि./खा.सु.अ./2013 जयपुर, दिनांक 11.04.2022

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-2023 "खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गेहूँ प्राप्त करने से कुछ स्थानों पर वास्तविक रूप से जरूरतमंद, अल्प आय वर्ग के परिवार वंचित है। ऐसे परिवारों को NFSA (National Food Security Act) पात्रता की सूची में जोड़ने की दृष्टि से 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त अपीलों में सूचीबद्ध परिवारों को शामिल करते हुए, शेष छूटे हुए परिवार मिलाकर लगभग 10 लाख नये परिवार जोड़ने की मैं, घोषणा करता हूँ।" **उक्त घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में विभाग द्वारा NFSA योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोडने हेतु पोर्टल खोलने के आदेश जारी कर दिये गये है।**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.09.2018 को अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत समावेशन एवं निष्कासन के मानदण्ड निर्धारित किये गए है। एनएफएसए की पात्रता सूची में नाम जुडवाने के क्रम में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 13(10)(5)खा.वि./आवंटन/2013 दिनांक 29.09.2017 जारी किया गया था। इस आदेश दिनांक 29.09.2017 को अधिक्रमित करते हुए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए निम्न निर्देश जारी किये जाते है –

1. आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। ऑफलाइन आवेदन प्राप्त नहीं किये जायेंगे। आवेदक को निर्धारित फॉर्म (शहरी/ग्रामीण) भरकर ई मित्रा या स्वयं emitra.rajasthan.gov.in लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है |
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.09.2018 को अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत समावेशन एवं निष्कासन के मानदण्ड निर्धारित है। अधिसूचना में वर्णित श्रेणियों के लिए किस विभाग अथवा कार्यालय से प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिसकी सूचना परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है | अतः आवेदक सम्बंधित विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने प्रार्थना पत्र के साथ ई-मित्र पर आवेदन पत्र के साथ अपलोड करेगा|
3. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा कि आवेदक खाद्य सुरक्षा की निष्कासन मानदंड सूची में सम्मिलित नहीं है। यह सुनिश्चित करे कि अपात्र लोंगो की निष्कासन के मानदंडो पर जांच की जावे |
4. वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत प्रदेश के नागरिकों को अन्य राज्यों में गेहूँ मिल सके इस हेतु पात्र आवेदक की आधार सीडिंग आवश्यक है तथा बजट घोषणा 2021-2022 की क्रियान्विति के क्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार के माध्यम से होने की अनिवार्यता होने से जनआधार सीडिंग आवश्यक होगी। अतः ई-मित्र के माध्यम से प्राप्त नए और पुराने सभी आवेदन पत्रों को जनआधार तथा आधार सीडिंग होने के उपरान्त ही निस्तारण किया

जाये। यदि किसी कारणवश परिवार का आधार कार्ड नही बना हो तो आवेदक ई मित्र/ आधार एंरोलमेंट सेंटर के माध्यम से आधार नामांकन करवाकर नाम जोडने हेतु आवेदन करे।

5. प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किये जाने के लिए संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी उनके अपने-अपने क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी है।
6. आवेदक द्वारा समावेशन की श्रेणी के सम्बन्ध में स्वप्रमाणित/सैल्फ अटेस्टेड दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन अस्वीकार किया जायेगा।
7. लम्बे समय तक आवेदनो को लम्बित रहने से बचने हेतु सेंड-बैक किये गए आवेदन में आवेदक द्वारा कमी-पूर्ति तीस (30) दिन में नहीं किये जाने पर ऐसा आवेदन स्वतः ही अस्वीकृत हो जाएगा। सेंड-बैक किये गए आवेदन में आवेदक द्वारा कमी-पूर्ति नहीं करने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकेगा। परन्तु ऐसे आवेदक पुन: आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसे आवेदक के पुन: आवेदन किये जाने पर सूचना प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा पहले किये गए आवेदन और उसके अस्वीकरण का विवरण ऑनलाइन मॉड्यूल में दर्शाने का विकल्प दिखायेंगे ताकि संबंधित प्राधिकृत अधिकारी आवेदन-पत्र के निस्तारण पर युक्तियुक्त निर्णय ले सके।
8. संबंधित प्राधिकृत अधिकारी आवेदन-पत्र की पूर्ण रूप से जांच करेगा तथा आवेदन पत्र पूर्ण/ सही पाए जाने पर ही आवेदक का नाम जोडने का निर्णय करेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य या स्वघोषणा पत्र पर किसी प्रकार का सन्देह होने पर प्राधिकृत अपीलीय अधिकारी (उपखंड अधिकारी / जिला रसद अधिकारी) सम्बंधित विभाग से जांच करा सकेगा और संतुष्ट होने के पश्चात ही नाम जोडने की कार्यवाही करेगा। संबंधित प्राधिकृत अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में अपात्र व्यक्ति/निष्कासन श्रेणी में आने वाले सदस्यों का चयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नहीं हो ।
9. संबंधित प्राधिकृत अधिकारी का दायित्व आवेदन पत्र व उसके साथ संलग्न प्रमाण-पत्र की पूर्णता से जांच करने तक सीमित है। यदि आवेदक द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा में नाम जुडवाने का प्रकरण भविष्य में सामने आता है, तो ऐसे आवेदक का नाम निरस्त करते हुये उसके विरूद्ध वसूली आदि सहित कानूनी कार्यवाही की जावे।
10. आवेदन पत्र को स्वीकार करने से पूर्व विभागीय अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 में बताये गये निष्कासन श्रेणी के मापदण्डों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुये अपीलों का निस्तारण किया जावे। किसी भी हालत में अपात्र व्यक्ति/निष्कासन श्रेणी में आने वाले सदस्यों का चयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नहीं हो।
11. संबंधित प्राधिकृत अधिकारी यह भी सुनिश्चित करे कि एक ही ई मित्र पर भारी संख्या मे या एक ही इलाके से बल्क मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो विशेष सावधानी बरतते हुये जांच कर निष्तारण करे।

संलग्न – उक्तानुसार।

Sd/-

(नवीन जैन)
शासन सचिव (खाद्य)

क्रमांक – एफ 13 (10)(5) खा.वि./खा.सु.अ./2013 जयपुर, दिनांक 11.04.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर
10. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
11. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर ।
13. अतिरिक्त निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
14. अतिरिक्त निदेशक (ई-मित्र), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर ।
15. जिला कलक्टर, समस्त।
16. जिला रसद अधिकारी, समस्त जिले।
17. उप/सहायक निदेशक, जिला कार्यालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिले।
18. एस.ए./एसीपी (उप निदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिले।
19. संयुक्त निदेशक (ई-पीडीएस/ई-पॉस), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
20. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, राजस्थान।
21. उपखण्ड/विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
22. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर, समस्त पंचायत समिति, राजस्थान ।
23. रक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार गुप्ता)
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

शहरी क्षेत्र हेतु (अनुलग्नक 'अ')

खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन–पत्र

(दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निरस्तनीय होगा)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय / जिला रसद अधिकारी,
उपखण्ड .....

.....

प्रथम अपीलः खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत समाविष्ट करने हेतु अपील प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलार्थी निम्न अपील प्रस्तुत करता है–

1. अपीलार्थी ..... पुत्र/पुत्री/श्रीमती/श्री .....
   जाति ..... उम्र ..... निवासी .....
   वार्ड संख्या ..... तहसील .....
   नगर पालिका/ नगर निगम ..... जिला ..... का स्थाई निवासी है एवं शहरी क्षेत्र का निवासी है।
2. मुखिया के पूरे परिवार का विवरणः

क्र. सं.	नाम	माता का नाम	पिता का नाम	मुखिया के साथ सम्बन्ध	लिंग	जन्म दिनांक	* जन आधार कार्ड नं.	* आधार कार्ड नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				स्वयं				
2								
3								
4								
5								

*** अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।**

3. राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में शहरी क्षेत्र में समावेशन हेतु समावेशन के पात्रता सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं–

समावेशन (Inclusion) की प्राथमिकता सूची–

1. अन्त्योदय परिवार
2. बीपीएल परिवार
3. स्टेट बीपीएल परिवार
4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5. ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा–
   - A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
   - B. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
   - C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
   - D. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
   - E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
   - F. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
   - G. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना
   - H. सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति परिवार
   - I. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
   - J. वरिष्ठ नागरिक, जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते Exclusion (पात्र नहीं) शर्तों में न आते हों।
6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज में स्कूलों के हॉस्टल)
8. एकल महिलाएँ
9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
10. पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11. कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार
12. कचरा बीनने वाले परिवार

13. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ
14. गैर सरकारी सफाईकर्मी
15. स्ट्रीट वेन्डर
16. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
17. साईकिल रिक्शा चालक
18. पोर्टर (कुली)
19. कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
20. घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियाँ जैसेः वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड़ पालक
21. वनाधिकारी पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
22. आस्था कार्डधारी परिवार
23. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति।
24. ऐडस् (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोंग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
25. सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
26. बहुविकलांग एवं मंद बुद्धि व्यक्ति (21 श्रेणियाँ)
27. पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थि बच्चे एवं पालनहार परिवार
28. डायन प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएँ
29. निसंतान वृद्ध दंपति
30. वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है
31. ट्रांसजेन्डर

4. अपीलार्थी उपरोक्त समावेशन प्राथमिकता श्रेणियों .....में अभिलिखित उपवर्ग ..... की श्रेणी का है, जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज ..... संलग्न हैं।

5. राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों हेतु निर्धारित निष्कासन (Exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं) में वर्णित निम्नलिखित छः अपात्रताओं में से कोई अपात्रता अपीलार्थी में नहीं है–

1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।
3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो।)
4. नगर निगम/ नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फिट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय / व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोड कर)
5. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फिट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय / व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोड कर)
6. एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार
7. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लधु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो

नोटः निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे।

6. अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के परिवार, जिसका जनआधार कार्ड संख्या ..... है, को वार्ड संख्या .....नगर पालिका/ नगर निगम ..... तहसील ..... जिला.....में खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन सूची में समावेशन प्राथमिकता श्रेणी ..... का आदेश जारी करायें। (समावेशन श्रेणी का नाम लिखें)

नोटः आवेदन पत्र के साथ यदि आपने अपनी समावेशन श्रेणी को कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किया है तो आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाकर आवेदक को बकाया दस्तावेज सम्बन्धित विभाग में जमा कराने के लिये अधिकतम 15 दिवस का समय और दिया जायेगा।

संलग्न दस्तावेजों की सूची–

1.
2.
3.
4.
5.

हस्ताक्षर अपीलार्थी

नाम–
पिता का नाम–
माता का नाम–
मोबाईल नंबर–
पता–

शपथ–पत्र / स्वघोषणा

मैं ..... पुत्र / पत्नी श्री .....

निवासी .....

यह घोषणा करता / करती हूँ कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 के बिन्दु संख्या 5 में अंकित निष्कासन की 7 श्रेणियों में, मैं / मेरा परिवार शामिल नहीं है। यदि मैं / मेरा परिवार जाँच में निष्कासन की श्रेणियों में शामिल होना पाया जाता है तो मेरे / हमारे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

(हस्ताक्षर अपीलार्थी)

दिनांकः

स्थानः

ग्रामीण क्षेत्र हेतु (अनुलग्नक 'अ')

खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन–पत्र

(दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निरस्तनीय होगा)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय / जिला रसद अधिकारी,
उपखण्ड .....

.....

प्रथम अपीलः खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत समाविष्ट करने हेतु अपील प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलार्थी निम्न अपील प्रस्तुत करता है–

1. अपीलार्थी ..... पुत्र/पुत्री/श्रीमती/श्री .....
   जाति ..... उम्र ..... निवासी ग्राम .....
   ग्राम पंचायत ..... तहसील .....
   पंचायत समिति ..... का स्थाई निवासी है एवं ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है।
2. मुखिया के पूरे परिवार का विवरणः

क्र. सं.	नाम	माता का नाम	पिता का नाम	मुखिया के साथ सम्बन्ध	लिंग	जन्म दिनांक	*जन आधार कार्ड नं.	*आधार कार्ड नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				स्वयं				
2								
3								
4								
5								

*** अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।**

3. राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में समावेशन हेतु समावेशन के पात्रता सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं–

   समावेशन (Inclusion) की प्राथमिकता सूची–

   1. अन्त्योदय परिवार
   2. बीपीएल परिवार
   3. स्टेट बीपीएल परिवार
   4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
   5. ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा–
      - A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
      - B. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
      - C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
      - D. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
      - E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
      - F. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
      - G. महानरेगा में 2009–10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
      - H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना
      - I. सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति परिवार
      - J. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
      - K. भूमिहीन कृषक
      - L. सीमान्त कृषक
      - M. वरिष्ठ नागरिक, जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते Exclusion (पात्र नहीं) शर्तों में न आते हों।
   6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
   7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज में स्कूलों के हॉस्टल)
   8. एकल महिलाएँ
   9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक

10. पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11. कचरा बीनने वाले परिवार
12. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
13. साईकिल रिक्शा चालक
14. पोर्टर (कुली)
15. कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
16. घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियाँ जैसेः वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड़ पालक
17. वनाधिकारी पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
18. लघु कृषक
19. आस्था कार्डधारी परिवार
20. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति।
21. ऐडस् (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोंग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
22. सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
23. बहुविकलांग एवं मंद बुद्धि व्यक्ति (21 श्रेणियाँ)
24. पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थि बच्चे एवं पालनहार परिवार
25. डायन प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएँ
26. निसंतान वृद्ध दंपति
27. वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है
28. ट्रांसजेन्डर

4. अपीलार्थी उपरोक्त समावेशन प्राथमिकता श्रेणियों .....में अभिलिखित उपवर्ग ..... की श्रेणी का है, जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज ..... संलग्न हैं।

5. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित निष्कासन (Exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं) में वर्णित निम्नलिखित छः अपात्रताओं में से कोई अपात्रता अपीलार्थी में नहीं है–

1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।
3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो।)
4. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लधु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो
5. ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रू. वार्षिक से अधिक हो
6. ऐसे परिवार जिसके पास ग्रमीण क्षैत्र में 2000 वर्ग फिट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो

नोटः निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे।

6. अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के परिवार, जिसका जनआधार कार्ड संख्या ..... है, को ग्राम ..... ग्राम पंचायत ..... तहसील / पंचायत समिति ..... जिला ..... में खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन सूची में समावेशन प्राथमिकता श्रेणी ..... का आदेश जारी करायें। (समावेशन श्रेणी का नाम लिखें)

नोटः आवेदन पत्र के साथ यदि आपने अपनी समावेशन श्रेणी को कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किया है तो आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाकर आवेदक को बकाया दस्तावेज सम्बन्धित विभाग में जमा कराने के लिये अधिकतम 15 दिवस का समय और दिया जायेगा।

संलग्न दस्तावेजों की सूची–

1.
2.
3.
4.
5.

हस्ताक्षर अपीलार्थी

नाम–

पिता का नाम–

माता का नाम–

मोबाईल नंबर–

पता–

शपथ–पत्र/स्वघोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नी श्री .....

निवासी .....

यह घोषणा करता/करती हूँ कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 के बिन्दु संख्या 5 में अंकित निष्कासन की 6 श्रेणियों में, मैं/मेरा परिवार शामिल नहीं है। यदि मैं/मेरा परिवार जाँच में निष्कासन की श्रेणियों में शामिल होना पाया जाता है तो मेरे/हमारे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

(हस्ताक्षर अपीलार्थी)

दिनांकः

स्थानः

अनुलग्नक "ब"

खाद्य सुरक्षा के लिए पात्रता / समावेशन श्रेणी (शहरी और ग्रामीण क्षेत्र)

श्रेणी क्र. सं.	योजनायें जिनमे नाम होने पर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़ता है एवं योजनाओं का संक्षिप्त विवरण	सम्बंधित विभाग और दस्तावेजी प्रमाण पत्रों का विवरण
(1)	अन्त्योदय परिवार	स्थानीय निकाय वर्ष 2000 की लिस्ट के अनुसार / जिला परिषद
(2)	बीपीएल परिवार	स्थानीय निकाय/ जिला परिषद
(3)	स्टेट बीपीएल परिवार	स्थानीय निकाय/ जिला परिषद
(4)	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी वर्ष 2001 की सूची के अनुसार।
(5)	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं / वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा :-	
	(5A) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन नंबर
	(5B) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैशन योजना (IGNOAPNS)	
	(5C)मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना	
	(5D)इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (IGNWPNS)	
	(5E)मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेशन योजना	
	(5F)इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (IGNDPS)	
	(5G)मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना	
	(5G) महानरेगा में 2009 10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार (केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए)	पंचायती राज विभाग
	(5H) सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार (ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपश्रेणी(5I) है)	जनजाति क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण
	(5 I) कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार (ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपश्रेणी (5J)है)(वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएँ देता है, बँधुआ मजदूर कहलाता है।)	जिला प्रशासन
	(5J) वरिष्ठ नागरिक जिन का स्वतंत्र राशनकार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयुसीमा में हो बशर्त exclusion (पात्रनही) शर्तों में न आते हो। (ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपश्रेणी (5M) है)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
	(5K) भूमिहीन कृषक (केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए शहरी क्षेत्र पर लागू नहीं)	राजस्व विभाग (तहसीलदार / पटवारी)
	(5L) सीमान्त कृषक (केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए शहरी क्षेत्र पर लागू नहीं)	राजस्व विभाग (तहसीलदार / पटवारी)
(6)	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष	--
(7)	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्त:वासी (समाज कल्याण,जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)	सम्बंधित विभाग/जिले के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/दस्तावेज
(8)	एकल महिलाएँ	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
	यदि पेंशन प्राप्त नही कर रहे है तथा प्रकरण यथा कोरोना मृत्यु है तो	भौतिक सत्यापन
(9)	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक (कंस्ट्रक्शन वर्कर का लेबर कार्ड)-	श्रम विभाग से जारी लेबर कार्ड के आधार पर।

(10)	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम	सम्बंधित विभाग/जिले के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/दस्तावेज
(11)	कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार **(केवल शहरी क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर लागू नहीं)**	स्थानीय निकाय विभाग
(12)	कचरा बीनने वाले परिवार	स्थानीय निकाय विभाग
(13)	शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ	स्थानीय निकाय विभाग / पुलिस विभाग
(14)	गैरसरकारी सफाईकर्मी **(केवल शहरी क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर लागू नहीं)**	स्थानीय निकाय विभाग
(15)	स्ट्रीट वेण्डर	स्थानीय निकाय विभाग
(16)	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार	सम्बंधित विभाग/जिले के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/दस्तावेज
(17)	साईकिल रिक्शा चालक	स्थानीय निकाय विभाग
(18)	पोर्टर (कुली)	स्थानीय निकाय विभाग
(19)	कुष्ठरोगी एवं कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ति	चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र
(20)	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वनवागरिया, गाडियालुहार, भेडपालक	जिला प्रशासन और भेड पालकों के लिए जिला पशु पालन अधिकारी
(21)	वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी	जिला प्रशासन
(22)	लघु कृषक	राजस्व विभाग (तहसीलदार / पटवारी)
(23)	**आस्था कार्डधारी परिवार–**	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागद्वारा जारी परिचय पत्र
(24)	अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति	जिला प्रशासन / सामाजिक कल्याण विभाग
(25)	एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार।	चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ग्रीन डायरी
(26)	सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार	चिकित्सा विभाग / निशक्त्जन आयुक्तालय
(27)	बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी श्रेणीवार परिचय पत्र
(28)	**पालनहार योजनाअंतर्गत लाभार्थी बच्चेव पालनहार परिवार**	
(29)	डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित महिलाएं	पुलिस विभाग
(30)	निसंतान दंपत्ति	नगरीय क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी, स्थानीय निकाय की रिपोर्ट के आधार पर। ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर, सर्वे के आधार पर
(31)	वृद्ध दंपत्ति जिनकी केवल दिव्यांग संतान है।	
(32)	ट्रांसजेंडर	स्व घोषणा के उपरांत भौतिक सत्यापन के आधार पर

विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी "जनसूचना पोर्टल" (jansoochna.rajasthan.gov.in) तथा "जनकल्याण पब्लिक वेलफेयर पोर्टल" (jankalya.rajasthan.gov.in) पर भी उपलब्ध है तथा इस संबंध में फोन नं. 0141–2921063 पर भी जानकारी ली जा सकती है ।